हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग

संख्याः इण्ड–बी–एफ(6)–14–2014–IV तारीखः 01.09.2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड–II–(एफ) 6–14/2014 तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) छठा संशोधन नियम, 2025 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
नियम 19 का संशोधन	2.	हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 19 के उप–नियम (1) में,– उप–नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "(क) पट्टेदार को पट्टा क्षेत्र से निकाले जाने वाले गौण खनिजों पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयलेटी के साथ–साथ तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर ऑनलाईन प्रभार, ई0वी0 प्रभार और दुग्ध उपकर का अग्रिम भुगतान करना होगा। ऑनलाइन प्रभारों का

		उपयोग भूवैज्ञानिक प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने हेतु, प्रौद्योगिकी, संसाधन तथा आवश्यक आधारभूत ढाँचे की व्यवस्था हेतु किया जाएगा। तथापि, पट्टेदार द्वारा उद्योगों को चूना भट्ठा से अन्यथा, जब कभी भी चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है, तो पट्टेदार द्वारा चूने के लिए रॉयलेटी प्रमुख खनिज के रूप में, जो भी अधिक हो, संदत्त की जाएगी। पट्टेदार प्रत्येक वर्ष के लिए तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत ऐसा वार्षिक अनिवार्य भाटक (किराया) भी संदत्त करेगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर नियत किया जाए और यदि पट्टेदार एक ही क्षेत्र में एक से अधिक खनिज का कार्य अनुमत करता है तो सरकार ऐसे प्रत्येक गौण खनिजों की बाबत पृथक अनिवार्य भाटक (किराया) प्रभारित कर सकेगीः परंतु यह कि पट्टेदार, प्रत्येक खनिज की बाबत या तो अनिवार्य भाटक या रॉयलेटी जो भी अधिकतर हो, संदत्त करने हेतु दायी होगा परन्तु दोनों नहीं, तथापि, यदि सरकार द्वारा अपने स्तर पर खनन् प्रचालन स्थगित किया गया है तो वह अनिवार्य भाटक (किराया) या रॉयलेटी संदत्त करने हेतु दायी नहीं होगा।"।
नियम 33 (1) का संशोधन	3.	उक्त नियमों के नियम 33 के उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उत्पादित गौण खनिजों को किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन तथा अवधि के लिए उठाने/उनका परिवहन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। अनुज्ञा, तहसीलदार, सहायक अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) और खनन् अधिकारी, से गठित समिति जो इनके भण्डार की उपलब्धता का निर्धारण भी कर सकेगी, द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् प्रदान की जाएगी।

		स्पष्टीकरणः–(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए विकासात्मक कार्यकलापों से, जल विद्युतपरियोजनाओं के लिए सुरंगों का उत्खनन, सड़कों/रेलपथों और विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों/राज्य उच्च मार्गों की संयोजकता के लिए सुरंगों का सन्निर्माण, जलाशय से गाद निकालना, मानसून के मौसम के पश्चात् कृषि क्षेत्रों और चारागाह भूमि से दो मीटर की गहराई तक रेत और बजरी का अपसारण, प्लॉटों का विकास, मतस्य पालन तालाबों का उत्खन्न और किसी अन्य प्रकार के विकासात्मक कार्यकलाप अभिप्रेत होंगे। परंतु यह कि अनुमोदित जलविद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग, राज्य राजमार्ग/हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की सड़क की कटिंग से उत्पन्न सामग्री के मामले में, ठेकेदार/ठेकेदार द्वारा लगाया गया उप–ठेकेदार या सम्बद्ध अभिकरण, तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण प्रभार के साथ रॉयलेटी का संदाय करने के पश्चात् सम्बद्ध अभिकरण के प्रतिनिधि सहित सम्बद्ध खनन् अधिकारी, जो सहायक अभियंता या समकक्ष की पंक्ति से नीचे का न हो द्वारा स्टॉक के सत्यापन के पश्चात् आबद्ध प्रायोजन के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग कर सकेगाः परंतु यह और कि यदि ठेकेदार/लगाए गए उप ठेकेदार या सम्बद्ध अभिकरण को परियोजना के निष्पादन के दौरान इस प्रकार उत्पन्न सामग्री की पूर्ण मात्रा की आवश्यकता नहीं है, स्टाक किए गए शेष कच्चे माल/समाप्त उत्पाद तथा जलाशय से गाद निकालने/अनुरक्षण की परियोजना गतिविधि के दौरान संपूर्ण सामग्री को, नियम–67 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रकिया के अनुसार, समिति द्वारा नीलाम किया जाएगा।"।

<table>
<tr>
<td>द्वितीय अनुसूची का संशाधन।</td>
<td>4.</td>
<td>उक्त नियमों से संलग्न द्वितीय अनुसूची में, क्रम संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>खनिज का नाम</th><th>रॉयलेटी की दरें/नियमों की अधीन अपेक्षित अन्य फीस (प्रति टन)</th></tr>
<tr><td>6</td><td>साधारण मिट्टी/स्लेटी पत्थर</td><td>80.00 रुपये</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

आदेश द्वारा,

रितेश चौहान, भा0 प्र0 से0
सचिव (उद्योग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीख शिमला–2, 1.09.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
2. निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–1
3. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
4. राज्य भू–विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबन्धक ,जिला उद्योग केन्द्र, हि0प्र0।
6. समस्त खनि अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
7. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
8. गार्ड फाइल।

(वन्दना)
अवर सचिव (उद्योग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-B-F(6)-14/2014-IV, dated 1.09.2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Industries

No. Ind-B-F(6)-14/2014-IV Dated: 01.09. 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 15 read with section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified vide this department's notification No. Ind-II(F)6-14/2014, dated 13.03.2015 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 21.03.2015,namely:-

Short title and commencement.	1.	(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Sixth Amendment Rules, 2025. (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Amendment of rule 19(1)(a)	2.	In rule 19 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 (hereinafter referred to as 'said rules'), in sub-rule (1),- For clause (a) of sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:- "(a) The lessee shall pay royalty as specified in the Second Schedule along with online charges, EV Charges and milk cess in advance on the minor minerals to be removed from

		the leased area at the rate specified in the Third Schedule. The online charges shall be utilized to provide technology, resources and required infrastructure for strengthening of Geological Wing. However, as and when the limestone is supplied by the lessee to the Industries other than lime-kiln, royalty shall be paid by the lessee for the lime as major mineral, whichever is more. The lessee shall also pay for every year, such yearly dead rent within the limits specified in Third Schedule as may be fixed from time to time by the Government and if the lease permits the working of more than one mineral in the same area, the Government may charge separate dead rent in respect of each minor minerals: Provided that the lessee shall be liable to pay either dead rent or royalty in respect of each mineral whichever is higher but not both, however, he shall not be liable to pay dead rent or royalty, if mining operation has been suspended by the Government at its own."
Amendment of rule 33(1)	3.	In rule 33 of the said rules, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:- "(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Director or any Officer authorized by him in this behalf, may grant permission for lifting/transportation of minor minerals generated during various developmental activities and natural calamities for a specific purpose and period. The permission will be given after the site is inspected by a Committee consisting of Tehsildar, Assistant Engineer (Public Works Department) and Mining Officer which may also assess the availability of stock thereof.

		Explanation:- For the purpose of this rule the developmental activities shall mean excavation of tunnel for hydro electric projects, construction of tunnels for connectivity of roads/railways track and construction of various National Highways/State Highways/any other roads, de-silting of reservoir, removal of sand and gravel from agricultural fields, grass land after monsoon season upto a depth of two (02) meters, development of plots, excavation of fisheries ponds and any kind of other developmental activities: Provided that in case of material generated from road cutting of National Highway/ Express way/State Highway/H.P.P.W.D. road/ during execution of approved Hydel Projects, the Contractor/engaged sub-contractor or concerned Agency may use such material for captive purpose after paying the royalty along with processing charges as specified in the third schedule and after verification of the stock by the concerned Mining Officer along with representative of concerned Agency not below the rank of Assistant Engineer or equivalent: Provided further that if the Contractor/engaged sub-contractor or concerned Agency do not require the whole quantity of the mineral so generated during the execution of project, the left out stacked raw material/finished product and the whole material generated during the de-siltation/maintenance of project activity of reservoir shall be auctioned by the Committee as per the procedure specified under Rule-67."

<table>
<tr>
<td>Amendment of SECOND SCHEDULE</td>
<td>4.</td>
<td>In the SECOND SCHEDULE appended to the said rules, for the existing provision(s) against Sr. No. 6, the following shall be substituted, namely:-
<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Name of Mineral</th><th>Rates of Royalty /other fee required under Rule (per tonne)</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Ordinary Soil/Shale</td><td>Rs. 80.00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

By order,

Ritesh Chauhan, IAS
Secretary (Industries) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst No. Ind-B-F(6)-14/2014-IV Dated: Shimla-2, the 01.09.2025
Copy is forwarded for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh
2. The Director of Industries, H.P. Shimla-2.
3. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
4. The State Geologist/Geologists, Himachal Pradesh, Shimla-9.
5. All the General Manager, District Industries Centre in Himachal Pradesh.
6. All the Mining Officers in Himachal Pradesh.
7. The Controller, Printer & Stationary, HP Shimla-05
8. Guard File.

(Vandana)
Under Secretary (Industries) to the
Government of Himachal Pradesh